न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 21/2011

1 मृतक लादूराम पुत्र चन्द्रराम जाति जाट निवासी केहरपुरा कला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राजस्थान जरिये विधिक प्रतिनिध

1/1 जयनारायण आयु 60 वर्ष, पुत्र लादूराम

1/2 हंसराम आयु 57 साल

1/3 रतनसिंह आयु 51 साल पुत्रगण स्व. लादूराम जाति जाट निवासी केहरपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

1/4 मनभरी पुत्री लादूराम पत्नी दाताराम जाति जाट निवासी बोराणा की ढाणी पोस्ट चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

1/5 ओमपती पुत्री लादूराम पत्नी श्रीराम जाति जाट निवासी बोराणा की ढाणी पोस्ट चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

1/6 श्रीमती लाडो बेवा लादूराम जाति जाट निवासी केहरपुरा कला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 मृतक बेगराज पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी केहरपुरा कला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

1/1 दड़की आयु 70 साल पत्नी बेगराज जाति जाट निवासी केहपुरा कला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

2 मृतक गोपाल आयु 82 वर्ष पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी केहपुरा कला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

2/1 महावीर सिंह आयु 62 साल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

2/2 रोहिताश आयु 60 वर्ष
2/3 बलबीर सिंह आयु 58 वर्ष
2/4 भरत सिह आयु 54 वर्ष पुत्रगण स्व. गोपाल
2/5 फुली देवी उम्र 80 साल पत्नी स्व. गोपाल जाति जाट निवासी केहपुरा कला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
2/6 सुमन आयु 51 साल पुत्री स्व. गोपाल पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी घरड़ाना खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
4 मृतक मु. अणची बेवा चन्दगीराम, निवासी ढाढोत, जरिये विधिक प्रतिनिधि
4/1 हंसराम पुत्र चन्दगीराम
4/2 हजारी आयु 47 आयु
4/3 मनीराम आयु 38 साल
4/4 रोताश, आयु 34 वर्ष
4/5 शिशराम आयु 31 वर्ष पुत्रगण चन्दगीराम, जाति जाट निवासी केहपुरा कला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
4/6 मु. किताब पुत्री चन्दगीराम जाति जाट निवासी केहपुरा कला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
5 मु. पतोरी बेवा मानसिंह
6 मु. सुगनी पत्नी श्योनारायण
7 मु. पारी पत्नी किरदाराराम
8 मृतक मु. बाली पत्नी अमरसिंह जरिये विधिक प्रतिनिधि
8/1 अमरसिंह पुत्र रामदयाल सिंह
8/2 प्रहलाद उम्र 48 साल
8/3 धर्मपाल
8/4 अमीलाल आयु 42 साल
8/5 शेरसिंह, आयु 38 साल
8/6 बंटी आयु 36 वर्ष पुत्रगण अमरसिंह जातिगण जाट निवासी गारिण्डा वाया पिलानी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

8/7 मु. सजना पुत्री अमरसिंह आयु 30 वर्ष पत्नी धनसिंह जाति जाट निवासी सिहागा की ढाणी तन रायला, तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

8/8 मु. बाली मु. संतोष आयु 28 वर्ष पुत्री अमरसिंह पत्नी सुबेसिंह जाति जाट निवासी सिहागा की ढाणी तन रायला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

9 मृतक पितराम पुत्र खेताराम जरिये विधिक प्रतिनिधि

9/1 विजयपाल आयु 42 साल

9/2 इन्द्रसिंह आयु 38 साल

9/3 बाबूलाल आयु 34 साल

9/4 बिन्दुसिंह आयु 30 साल पुत्रगण पितराम जाति जाट निवासी केहपुरा कला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

9/5 ओमवती आयु 44 वर्ष पुत्री पितराम पत्नी उम्मेद सिंह जाति जाट निवासी ठिचौली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

9/6 मु. सरोज आयु 36 साल पुत्र पितराम पत्नी रतनसिंह जाति जाट निवासी हमीरवास तहसील झुन्झुनू जिला झुन्झुनू राज.।

9/7 मु. सुनिता पुत्री पितराम पत्नी मानसिंह जाति जाट निवासी हमीरवास तहसील झुन्झुनू जिला झुन्झुनू राज.।

9/8 मु. संजू पुत्री पितराम पत्नी चन्दवीर जाति जाट निवासी अलीपुर तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

10 महावीर आयु 32 साल पुत्र नानड़राम जाति जाट निवासी केहपुरा कला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

11 उदमी पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी केहपुरा कला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

12 प्रहलाद आयु 30 वर्ष पुत्र सरदाराराम जाति जाट निवासी केहपुरा कला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

13 विधाधर पुत्र सरदाराराम जाति जाट जाति जाट निवासी केहपुरा कला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते

14 श्रवण पुत्र सरदाराराम जाति जाट जाति जाट निवासी केहपुरा कला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

15 हेमराज पुत्र सरदाराराम जाति जाट निवासी केहपुरा कला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

16 मृतक नन्दलाल पुत्र मोकाराम जरिये विधिक प्रतिनिधि

16/1 मु. मनकोरी बेवा नन्दलाल

16/2 सुरेश कुमार पुत्र नन्दलाल

16/3 विरेन्द्र कुमार पुत्र नन्दलाल

16/4 सुनील कुमार पुत्र नन्दलाल जाति जाट निवासी केहपुरा कला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

17 मृतक हंसराम पुत्र श्योकरण जरिये विधिक प्रतिनिधि

17/1 मु. श्रवणी बेवा हंसराम

17/2 महेन्द्र पुत्र हंसराम

17/3 रामकरण पुत्र हंसराम

17/4 सुनील पुत्र हंसराम

17/5 राजेश कुमार पुत्र हंसराम , जाति जाट निवासी केहपुरा कला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

17/6 सुनीता पुत्री हंसराम पत्नी बजरंग सिंह जाति जाट निवासी बाड़ की ढाणी तन बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

18 मृतक अर्जुन पुत्र किशनाराम जरिये विधिक प्रतिनिधि

18/1 मु. जानकी बेवा अर्जुनराम

18/2 दयानन्द

18/3 रामवतार

18/4 रामसिंह

18/5 सत्यवीर पुत्रगण अर्जुनराम जाति जाट निवासी केहपुरा कला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

18/6 मु. रूकमा पुत्री अर्जुनराम पत्नी श्योनारायण जाति जाट निवासी बुडास तहसील राजगढ़ जिला चुरू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * राजस्थान सत्यमेव जयते

18/7 श्याना उर्फ शान्ति पुत्री अर्जुनराम पत्नी मूलचन्द जाति जाट निवासी माखर की ढाणी तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।
18/8 भतेरी पुत्री अर्जुनराम पत्नी हंसराम जाति जाट निवासी लोयल तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
18/9 मु. महन्दो पुत्री अर्जुनराम पत्नी प्रहलाद जाति जाट निवासी माखर की ढाणी तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।
19 रामस्वरूप पुत्र श्री किशनलाल आयु 80 साल जाति जाट निवासी केहपुरा कला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
20 मृतक हरफूल पुत्र किशनाराम जरिये विधिक प्रतिनिधि
20/1 मु. नानची बेवा हरफूल
20/2 लालचन्द पुत्र हरफूल जाति जाट जाति जाट निवासी केहपुरा कला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
20/3 मु. सजना पुत्री हरफूल पत्नी विधाधर जाति जाट निवासी ढेवा का बास तन बाकरा, तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।
20/4 मु. सरबती पुत्री हरफूल पत्नी होशियार सिंह जाति जाट निवासी लोदीपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
21 भगवाना पुत्र बिशनाराम
22 मृतक सज्जन सिंह पुत्र श्योबक्स सिंह जरिये विधिक प्रतिनिधि
22/1 मु. सरगेश कंवर बेवा सज्जन सिंह
22/2 सुरेन्द्र सिंह
22/3 विरेन्द्र सिंह उर्फ वीरू सिंह
22/4 विक्रम
22/5 भवानी सिंह पुत्रगण सज्जन सिंह जाति राजपूत निवासी केहपुरा कला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
22/6 मु. हया कंवर पुत्री सज्जनसिंह पत्नी शंकर सिंह जाति राजपूत निवासी घेबड़ी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.।
22/7 मु. प्रेम कंवर पुत्री सज्जनसिंह पत्नी पीपलसिंह राठौड़ जाति राजपूत निवासी गावड़ी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

23 उदयसिंह पुत्र श्योबक्स सिंह, जाति राजपूत
24 मृतक सुमेर सिंह पुत्र श्योबक्स सिंह, जरिये विधि प्रतिनिधि
24/1 मु. कमला देवी बेवा सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी केहरपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
25 प्रभुसिंह पुत्र श्योबक्स सिंह जाति राजपूत निवासी केहरपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राजस्थान।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक
14.03.2011 अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी
चिड़ावा बउनवानी बेगराज बनाम लादूराम
वगैरह मुकदमा नम्बर 24/2009

उपस्थिति :

1. श्री ओमप्रकाश डांगी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिवनारायण सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री विनोद गिल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते

–निर्णय–

दिनांकः– 9.7.94

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 24/2009 में पारित निर्णय दिनांक 14.03.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने ग्राम केहरपुरा कला की भूमि गत खसरा नम्बर 19, 51, 68, 130, 176, 218 के संदर्भ में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी अपीलांट ने जवाब एवं काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 101/1, 101/2 के संदर्भ में घोषणा एवं बंटवारे का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर कानून के अनुसार कार्यवाई न कर अपीलान्ट का काउंन्टर क्लेम होते हुए भी ना तो कोई तनकीयात कायम की गई बगैर तनकीयात के ही दिनांक 11.03.2011 को अंतिम बहस हेतु दिनांक 14.03.2011 को मुकरर कर दिया एवं दिनांक 14.03.2011 को विचारण न्यायालय ने मनमाने ढंग से बिना लीगल प्रोसिजर अपनाये निर्णय एवं प्रारम्भिक डिकी दिनांक 14.03.2011 को जारी कर दी गई जबकि अपीलान्ट के द्वारा उक्त मुकदमें में 07.11.1984 को काउंटर क्लेम पेश किया तथा जवाबदावा एवं काउंटर क्लेम के आधार पर तनकीयात कायम होने पर वादी की साक्ष्य एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य ली जानी चाहिए थी जबकि विचारण न्यायालय ने उक्त मुकदमें में न तो तनकीयात कायम की तथा ना ही किसी पक्षकारान की साक्ष्य ली गई, एवं मनमाने ढंग से पत्रावली पर बहस सुनकर निर्णय व डिकी पारित की गई है। विचारण न्यायालय ने उक्त उनवानी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिक
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

मुकदमें में प्रोसिजर ऑफ लॉ नहीं अपनाया क्योंकि संसोधित टाईटल दिनांक 21.10.2005 को पेश किया गया। इसके बाद में कई पक्षकारान का स्वर्गवास हो चुका है। जिनकी कायमीमुकामान की दरख्वास्त पेश हुई है परन्तु संशोधित टाईटल पेश नही हुए है जो कि कानूनी त्रुटि है जबकि संशोधित टाईटल पेश होना चाहिए था। विचारण न्यायालय द्वारा न्याय के सिद्धान्त ईक्वीटी जस्टिस गुड कोन्सियंस के सिद्धान्त की भी पालना न कर मनमाने ढंग से विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 14.03.2011 को निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई जो कि खारिज होने योग्य है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा, बउनवानी बेगराज बनाम लादूराम वगैरह मुकदमा नम्बर 24/2009 का निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 14.03.2011 खारिज फरमाया जाना न्यायोचित है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में वादी का विभाजन का वाद था। विभाजन के वाद में विचारण न्यायालय ने वाद कथन एवं पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय में अपीलांट का काउंटर क्लेम था। उसके संदर्भ में विचारण न्यायालय ने कोई निर्णय पारित नहीं किया है। अपीलांट काउंटर क्लेम के संदर्भ में विचारण न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर विधि अनुसार कार्यवाई न कर अपीलान्ट का काउन्टर क्लेम होते हुए भी ना तो कोई तनकीयात कायम की गई एवं बगैर तनकीयात के ही दिनांक 11.03.2011 को अंतिम बहस हेतु दिनांक 14.03.2011 को मुकरर कर दिया एवं दिनांक 14.03.2011 को विचारण न्यायालय ने मनमाने ढंग से बिना लीगल प्रोसिजर अपनाये निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते

दिनांक 14.03.2011 को जारी कर दी गई जबकि अपीलान्ट के द्वारा उक्त मुकदमें में 07.11.1984 को काउंटर क्लेम पेश किया तथा जवाबदावा एवं काउंटर क्लेम के आधार पर तनकीयात कायम होने पर वादी की साक्ष्य एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य ली जानी चाहिए थी जबकि विचारण न्यायालय ने उक्त मुकदमें में न तो तनकीयात कायम की तथा ना ही किसी पक्षकारान की साक्ष्य ली गई, एवं मनमाने ढंग से पत्रावली पर बहस सुनकर निर्णय व डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय ने उक्त उनवानी मुकदमें में प्रोसिजर ऑफ लॉ नहीं अपनाया क्योंकि संसोधित टाईटल दिनांक 21.10.2005 को पेश किया गया। इसके बाद में कई पक्षकारान का स्वर्गवास हो चुका है। जिनकी कायमीमुकामान की दरख्वास्त पेश हुई है परन्तु संशोधित टाईटल पेश नही हुए है जो कि विधिक त्रुटि है जबकि संशोधित टाईटल पेश होना चाहिए था। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता हैं कि प्रकरण में तनकीयात कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर विधिक प्रकिया की पालना कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 2.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी